न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 71/2002

वादीः—

1. रूपसिंह पुत्र गुमानसिंह
2. उगमसिंह पुत्र गुमानसिंह
   जतिगण—राजपूत, निवासीगण—काणदरा, तहसील व जिला—पाली

बनाम प्रतिवादीगणः—

1. लाडकंवर बेवा बख्तावरसिंह
2. कुन्दनसिंह पुत्र श्री जोरसिंह
3. गोपालसिंह पुत्र बख्तावरसिंह
   जातिगण—राजपूत, निवासीगण — काणदरा, तहसील पाली, जिला पाली
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पाली

उपस्थितिः—

1. श्री दौलत मकवाना, विद्वान अभिभाषक वादी
2. श्री मदन दास वैष्णव, विद्वान अभिभाषक प्रतिवादीगण

वाद अंतर्गत धारा 53,88,188 एवं 92ए राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत आदेश 22, नियम 4 सपठीत धारा—151 सी. पी. सी. एवं एक अन्य प्रार्थना पत्र हस्ब आदेश 22 नियम 4, 9 सी. पी. सी. सपठित धारा—151 सी. पी. सी. बाबत् बनाने विधिक प्रतिनिधि मृतक प्रतिवादी लाडकंवर का प्रार्थी शेरसिंह को एवं प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—5 मयाद अधिनियम,

—:आदेशः— दिनांक 27.01.2020

1. वादीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22, नियम 4 सपठीत धारा—151 सी. पी. सी. दिनांक 05—02—2015 को मय शपथ—पत्र प्रस्तुत कर यह निवेदन किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 1 लाडकंवर का दिनांक 17.10.2014 को स्वर्गवास हो गया है। प्रमाण मे लाडकंवर के मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रति पेश है। प्रतिवादी संख्या 1 लाडकंवर का एकमात्र विधिक वारिस पुत्र गोपालसिंह पुत्र बख्तावरसिंह, जाति—राजपूत, निवासी—काणदरा, तहसील पाली जिला पाली पूर्व से बतौर प्रतिवादी संख्या 3 के रूप से पत्रावली पर उपलब्ध है। गोपालसिंह के अलावा मृत प्रतिवादी लाडकंवर के ओर कोई विधिक उतराधिकारी नही है। अतः प्रतिवादी संख्या 1 लाडकंवर के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 3 गोपालसिंह को बतौर कायम मुकाम दर्ज करन का आदेश प्रदान करावे। आदेशानुसार संशोधित शिर्षक पेश कर दिया जावेगा है।

2. प्रतिवादी लाडकंवर के अधिवक्ता द्वारा वादीगण के उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 05—02—2015 का कोई जवाब प्रस्तुत नही कर प्रार्थी शेंरसिंह पुत्र जब्बरसिंह राज़पूत निवासी डरी की ओर से एक प्रार्थना—पत्र वास्ते हस्ब आदेश 22 नियम 3, 9 सी. पी. सी. सपठित धारा—151 सी. पी. सी. बाबत् बनाने विधिक प्रतिनिधि मृतक प्रतिवादी लाडकंवर का प्रार्थी शेरसिंह को एवं प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम मय शपथ—पत्र प्रस्तुत कर यह निवेदन किया गया है कि हाजा अनवान का वाद वादीगण का वादग्रस्त आराजी निस्बत् प्रतिवादी के श्रीमान् के न्यायालय मे पेश किया है जो वाद श्रीमान् के न्यायालय मे विचाराधीन है जिसकी आयन्दा पेशी तारीख 22—04—2015 को नियत है। उपरोक्त अनवान का विचाराधीन वाद मे प्रतिवादी लाडकंवर का देहान्त दिनांक 16.10.2014 को हो चुका है जिस मृतक

Rahul
सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी लाडकंवर द्वारा अपने जीवनकाल मे अपनी स्वेच्छा से अपनी स्वअर्जित तमाम अचल सम्पति मय हाजा वाद मे वर्णित वादग्रस्त आराजी की वसीयत दिनांक 14.10.2014 को प्रार्थी के हक मे निष्पादित कर दी थी जो प्रार्थी के पक्ष मे निष्पादित वसीयत दिनांक 14.10.2014 प्रतिवादी लाडकंवर की अन्तिम वसीयत थी व है। चूंकि मृतक प्रतिवादी लाडकंवर के कोई जायन्दा संतान न थी न रही न आज भी है एवम् न ही उक्त प्रतिवादी लाडकंवर द्वारा अपने जीवनकाल मे किसी व्यक्ति को गोद ही लिया था एवम् न ही गोपालसिंह पुत्र गुमानसिंह, जाति–राजपूत, निवासी काणदरा, तहसील पाली, जिला पाली (राज.) मृतक प्रतिवादी लाडकंवर का गोदी पुत्र ही है। इन उपरोक्त हालात मे मृतक प्रतिवादी लाडकंवर द्वारा अपनी स्वअर्जित वादग्रस्त आराजी की वसीयत दिनांक 14.10.2014 प्रार्थी के हक मे निष्पादित करने से प्रतिवादी लाडकंवर की मृत्यु दिनांक 16.10.2014 को होते ही वादग्रस्त आराजी के खातेदारी हक हकूक प्रार्थी शेरसिंह मे जरिये वसीयत दिनांक 14.10.2014 के निहीत हो चुके थे, रहे एवं है जिससे प्रतिवादी मृतक लाडकंवर का एकमात्र विधिक प्रतिनिधि प्रार्थी शेरसिंह ही है जिस प्रार्थी को हाजा वाद मे मृतक प्रतिवादी लाडकंवर के स्थान पर मृतक प्रतिवादी लाडकंवर का विधिक प्रतिनिधि के बतौर प्रतिवादी के नियोजित कर उक्त हाजा वाद मे मृतक प्रतिवादी लाडकंवर की ओर से प्रार्थी को विधिक प्रतिनिधि बना हाजा वाद मे पैरवी की प्रार्थी को अनुमति प्रदान किया जाना कानूनन् आवश्यक एवं लाजमी है। प्रतिवादी लाडकंवर द्वारा अपनी स्वअर्जित वादग्रस्त आराजी को अपने जीवनकाल मे अपनी स्वेच्छा से जरिये वसीयत दिनांक 14.10.2014 के प्रार्थी के पक्ष मे निष्पादित कर व्ययन की व्यवस्था कर दी थी एवं प्रतिवादी लाडकंवर की मृत्यु दिनांक 16.10.2014 को होते ही वादग्रस्त आराजी निस्बत खातेदारी हक हकूक प्रार्थी मे निहीत हो चुके थे व है। ऐसी स्थिति मे हिन्दू उतराधिकार अधिनियम 1956 की धारा–8 व 15 के प्रावधान कानूनन् लागू नही होते है ऐसी कानून की मंशा है। वादग्रस्त आराजी निस्बत् वादीगण की ओर से विरूद्ध प्रतिवादी लाडकंवर के श्रीमान् के न्यायालय मे विचाराधीन होने की कतई कोई जानकारी प्रार्थी को नही थी। उक्त वाद मे पेशी तारीख 18.02.2015 को वादीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र हस्ब आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा–151 सी. पी. सी. का पेश करने पर वकील प्रतिवादी द्वारा प्रतिवादी लाडकंवर के भाई जब्बरसिंह पुत्र श्री तेजसिंह राजपूत, निवासी–डरी को दिनांक 18.02.2015 को फोन से इतला करने पर वकील प्रतिवादी के कहने पर दिनांक 28.02.2015 को प्रार्थी वकील प्रतिवादी से प्रार्थी को जब्बरसिंह के मार्फत इतला होने से वकील प्रतिवादी के ऑफिस मे सम्पर्क करने पर दिनांक 28.02.2015 को प्रतिवादी लाडकंवर की ओर से श्रीमान् के न्यायालय मे वादग्रस्त आराजी निस्बत् राजस्व वाद विचाराधीन होने की सर्वप्रथम प्रार्थी को हुई जिससे प्रार्थी की ओर से हाजा प्रार्थना पत्र पेश है। म्याद मुतलिक विस्तृत अर्ज बाबत् प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अलग से साथ पेश है। मृत्यु प्रमाण पत्र जारी दिनांक 01.11.2014 एवत् वसीयत दिनांक 14.10.2014 की नकले प्रमाणित साथ पेश है। शपथ पत्र पेश है।

3. प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र के साथ धारा–5 मयाद अधिनियम के तहत भी अलग से प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3, 9 सपठीत धारा 151 सी. पी. सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने मे हुई देरी को माफ करने का निवेदन कर उक्त प्रार्थना पत्र अन्दर मयाद शुमार कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर हाजा वाद मे प्रतिवादी लाडकंवर के स्थान पर मृतक प्रतिवादी लाडकंवर का प्रार्थी को विधिक प्रतिनिधि नियोजित फरमाते हुए उक्त वाद मे पैरवी करने की प्रार्थी को अनुमति प्रदान किये जाने का आदेश फरमाया जावे। अधिवक्ता प्रार्थी का आगे निवेदन रहा कि उपरोक्त प्रार्थना–पत्र के विचाराधीन रहते प्रार्थी शेरसिंह का भी दिनांक 09–07–2018 को देहान्त हो गया जिस पर उसके विधिक वारिसान पूरणसिंह, गजसिंह पिसरान शेरसिंह, भंवर कंवर बेवा शेरसिंह एवं

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

प्रमोदकंवर पुत्री शेरसिंह ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा–151 सी. पी. सी. का प्रार्थना पत्र पेश कर स्वयं को वादीनी लाडकंवर के कायममुकाम के तौर पर बतौर वादी प्रतिस्थापित करने का निवेदन किया। प्रार्थीगण के उपरोक्त सभी प्रार्थना–पत्रो की प्रतिलिपियां वकील वादीगण को दिलाई गई।

4. वकील वादीगण द्वारा प्रार्थी शेरसिंह द्वारा प्रस्तुत के प्रार्थना–पत्रो का पदानुसार अलग अलग जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रतिवादी लाडकंवर का देहान्त दिनांक 16–10–2014 को होना स्वीकार है। प्रतिवादी लाडकंवर का देहान्त दिनांक 16–10–2014 को होने की जानकारी प्रार्थी शेरसिंह को प्रतिवादी लाडकंवर की मृत्यु की दिनांक से ही बहुत अच्छी तरह से थी व है क्योंकि प्रतिवादी लाडकंवर, प्रार्थी शेरसिंह की सगी बुआ थी। प्रार्थी का यह कथन गलत व झूठ है कि मृत प्रतिवादी लाडकंवर द्वारा अपने जीवनकाल मे अपनी स्वैच्छा से अपनी स्वअर्जित तमाम अचल सम्पति मय हाजा वाद मे वर्णित वादग्रस्त आराजी की वसीयत दिनांक 14.10.2014 को प्रार्थी के हक मे निष्पादित कर दी थी जो प्रार्थी के पक्ष मे निष्पादित वसीयत दिनांक 14.10.2014 प्रतिवादी लाडकंवर की अन्तिम वसीयत थी व है। बल्कि सही तथ्य तो यह है कि प्रतिवादी लाडकंवर अपने मृत्यु की दिनांक से करीब 01 माह पूर्व से बहुत अधिक गंभीर हालत मे अस्वस्थ थी एवं मरणासन् स्थिति मे थी तथा अपने भले भूरे का प्रतिवादी लाडकंवर को कोई ज्ञान व ध्यान नही था। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तथाकथित वसीयत प्रतिवादी लाडकंवर के देहान्त के 02 दिन की पूर्व की फर्जी एवं कूटरचित तैयार की गई है। प्रार्थी का यह कथन गलत है कि मृतक प्रतिवादी लाडकंवर के कोई संतान न थी और न रही व न आज भी है एवंम न ही उक्त प्रतिवादी लाडकंवर द्वारा अपने जीवनकाल मे किसी व्यक्ति को गोद ही लिया था। प्रार्थी का यह कथन भी गलत व झूठ है कि गोपालसिंह पुत्र गुमानसिंह जाति राजपूत, निवासी काणदरा, तहसील पाली, जिला पाली मृतक प्रतिवादी लाडकंवर का गोदी पुत्र है। बल्कि सही तथ्य तो यह है कि उक्त गोदीपुत्र गोपालसिंह के जन्मदाता पिता गुमानसिंह ने अपनी धर्मपत्नि की सहमति से गोपालसिंह को प्रतिवादी लाडकंवर के पति बख्तावरसिंह पुत्र शिवनाथसिंह जी जाति राजपूत, निवासी काणदरा, तहसील पाली की गोद मे बिठाकर गोद दिया तथा प्रतिवादी लाडकंवर के पति बख्तावरसिंह ने अपनी दोनो पत्नियो प्रतिवादी लाडकंवर व मोहनकंवर की सहमति से राजपूत समाज के जातिगत रिती–रिवाज अनुसार रस्म अदा कर राजपूत समाज की न्यात बुलाकर उक्त गोपालसिंह को अपनी गोद मे बिठाकर मोलीया बांधकर गुड धांणे खिलाकर गोद लिया व गोद की सेरेमनी मनाई गई तथा बख्तावरसिंह ने अपने जीवनकाल मे उक्त गोद बाबत एक गोदनामा दिनांक 12–07–1968 को अपने हस्ताक्षर कर निष्पादन किया व पंजीबद्ध करवाया। इस प्रकार प्रकट है कि गोपालसिंह प्रतिवादी लाडकंवर व बख्तावरसिंह जी का गोदीपुत्र है। उक्त गोदनामा को प्रतिवादी लाडकंवर ने अपने जीवनकाल मे कभी भी चेलेन्ज नही किया। विधि मे रजिस्टर्ड गोदनामा के सही होने बाबत न्यायालय उपधारणा करेगा, जब तक की उसे गलत साबित न कर दिया जावे। पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नही है जो उक्त रजिस्टर्ड गोदनामा को गलत साबित करती हो। बल्कि इसके विपरित बख्तावरसिंहजी द्वारा अपने गोदीपुत्र गोपालसिंह के पक्ष मे ग्राम काणदरा के खसरा नम्बर 512 के रकबा मे से 60 बीघा भूमि के खातेदारी अधिकार जरिये रजिस्टर्ड बख्शीशनामा के बख्शीश किये जो बख्शीशनामा पत्रावली पर उपलब्ध है। उक्त बख्शीश्नामा मे भी बख्तावरसिंह जी ने गोपालसिंह को अपना गोदीपुत्र होना दर्ज किया है। जब प्रतिवादी लाडकंवर को वसीयत करने का हक अधिकार ही नही था और न ही प्रतिवादी लाडकंवर ने तथाकथित वसीयत प्रार्थी के पक्ष मे निष्पादन की तो प्रार्थी को प्रतिवादी लाडकंवर की मृत्यु की दिनांक से वादग्रस्त आराजी मे खातेदारी हक हकूक जरिये वसीयत दिनांक 14.10.2014 के निहित होने बाबत प्रार्थी के तमाम

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

तथ्य कथन गलत व झूठ होने से अस्वीकार है। प्रार्थी, प्रतिवादी लाडकंवर को एकमात्र विधिक प्रतिनिधी होने बाबत् प्रार्थी का कथन गलत व झूठ है। प्रार्थी प्रतिवादी लाडकंवर का विधिक प्रतिनिधी नही है और न ही विधिक प्रतिनिधी के बतौर प्रतिवादी नियोजित कर हाजा वाद मे पैरवी करने का प्रार्थी को कोई हक अधिकार है। वादीगण ने दिनांक 18–02–2015 को प्रतिवादी गोपलसिंह जो पूर्व से बतौर प्रतिवादी पत्रावली पर मौजूद है को प्रतिवादी लाडकंवर का गोदीपुत्र होने के कारण लाडकंवर के कायममुकाम के तौर पर भी पत्रावली पर दर्ज करने हेतू प्रार्थना पत्र पेश किया है अतः प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र खारिज करने का सविनय निवेदन है। प्रार्थी का यह कथन गलत व झूठ है कि हिन्दू उतराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 08 व 15 के प्रावधान कानूनन लागू नही होते है। प्रार्थी का यह कथन गलत व झूठ है कि वादग्रस्त आराजी निस्बत लाडकंवर के विरूद्ध वादीगण की ओर से श्रीमान के न्यायालय मे विचाराधीन होने की कतई कोई जानकारी प्रार्थी को नही थी। प्रार्थी का यह कथन भी गलत व झूठ है कि उक्त वाद मे पैशी तारीख 18–02–2015 को वादीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र हस्ब आदेश 22, नियम 04 सपंठित धारा 151 सी. पी. सी. का पेश करने पर वकील प्रतिवादी द्वारा प्रतिवादी लाडकंवर के भाई जब्बरसिंह पुत्र तेजसिंह राजपूत निवासी डरी को दिनांक 18–02–2015 को फोन से इतला करने पर वकील प्रतिवादी के कहने पर दिनांक 28–02–2015 को प्रार्थी वकील प्रतिवादी से प्रार्थी को जब्बरसिंह के मार्फत इतला होने से वकील प्रतिवादी के ऑफीस मे सम्पर्क करने पर दिनांक 28–02–2015 को प्रतिवादी लाडकंवर के विरूद्ध श्रीमान के न्यायालय मे वादग्रस्त आराजी निस्बत राजस्व वाद विचाराधीन होने की सर्वप्रथम प्रार्थी को हुई। बल्कि सही तो यह है कि प्रार्थी को हाजा वाद की उसकी प्रस्तुती की दिनांक से स्वयं को तथा अपने पिता जब्बरसिंह के जरिये बहुत अच्छी तरह से जानकारी थी। क्योकि प्रार्थी के पिता जब्बरसिंह ने हाजा वाद मे प्रतिवादी लाडकंवर की ओर से उसके मुख्तियार की क्षमता मे लगातार हस्तगत प्रकरण मे पैरवी कर रहे है। प्रार्थी के पिता जब्बरसिंह भूतपूर्व पटवारी रहे है जो हाजा वाद मे लगातार पेशीयो पर प्रतिवादी लाडकंवर के मुख्तियार की क्षमता मे उपस्थित रहे है एवं मुकदमे की कार्यवाही मे बहैसियत मुख्तियार भाग लिया अतः प्रार्थी को अपने पिता जब्बरसिंह के जरिये यह बहुत अच्छी तरह से जानकारी थी कि वादग्रस्त आराजी बाबत हस्तगत वाद विचाराधीन है अतः प्रार्थी का यह तर्क माने जाने योग्य नही है कि उसे हस्तगत वाद की कोई जानकारी नही हो। प्रार्थी ने गलत तथ्य दर्ज कर शपथ पत्र पेश किया है। प्रतिवादी गोपालसिंह पुत्र बख्तावरसिंह राजपूत निवासी कान्दराश प्रतिवादी लाडकंवर का गोदीपुत्र होकर एकमात्र विधिक उतराधिकारी है, न की प्रार्थी शेरसिंह। उक्त गौपालसिंह पहले से ही पत्रावली पर उपलब्ध है। प्रतिवादी लाडकंवर का विधिक उतराधिकारी कौन है ? उक्त विवाधक को तय करने की अधिकारीता आदेश–22 नियम 05 सी. पी. सी. के तहत आदरणीय न्यायालय को नही है बल्कि सक्षम सिविल न्यायालय को है। इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पोषणीय नही होने से खारिज करने योग्य है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विधि व नियमानुसार पोषणीय नही होने से खारिज फरमावे। जवाब प्रार्थना–पत्रों की प्रतिलिपि वकील प्रार्थी को दिलाई गई।

5. वादीगण के प्रार्थना–पत्र दिनांक 05–02–2015 एवं प्रार्थी शेरसिंह के उपरोक्त प्रार्थना–पत्रो दिनांक 02–03–2015 एवं प्रार्थीगण पूरणसिंह वगैराह के प्रार्थना पत्र दिनांक 08–10–2018 पर विद्वान अधिवक्तागण उभय पक्षकारान की बहस प्रार्थना–पत्र सुनी गई।

6. वकील वादीगण का अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 05–02–2015 के समर्थन मे बहस के दौरान मुख्य रूप से निवेदन रहा कि मृतका प्रतिवादी लाडकंवर का विधिक वारिस पुत्र गोपालसिंह पहले से पत्रावली पर बतौर प्रतिवादी पक्षकार नियोजित है अतः प्रतिवादी

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

गोपालसिंह को मृत प्रतिवादी लाडकंवर के कायम मुकाम के तौर पर प्रतिस्थापित करने का आदेश प्रदान करावे। विद्वान अधिवक्ता वादीगण का तर्क रहा कि मृतका का पुत्र गोपालसिंह पत्रावली पर पहले से बतौर प्रतिवादी पक्षकार संयोजित होने के कारण विधि अनुसार वादीगण का दावा एबेट नही होता है और न ही एबेट हुआ अतः एबेटमेन्ट को अपास्त करने हेतू आवेदन करने की विधिक आवश्यकता नही थी और न है। वादीगण द्वारा विहीत मयाद अवधि मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22, नियम 4 सपठित धारा–151 सी पी सी का प्रस्तुत कर दिया गया है, जिसे स्वीकार कर प्रतिवादी लाडकंवर के स्थान पर प्रतिवादी गौपालसिंह को बतौर विधिक वारिस के प्रतिस्थापित किये जाने का आदेश प्रदान करावे। वकील वादीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन मे निम्नलिखित न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत कियेः–ए. आई. आर 2005 राजस्थान पेज 161 हेड नोट–(ठ), 2012 (2) आर. आर. टी. पेज 1148, 2004 (1) आर. आर. टी. पेज 237, 1993 आर. आर. डी. पेज 687, इसके विपरित वकील प्रार्थी का उनकी बहस के दौरान मुख्य रूप से यह निवेदन रहा कि प्रतिवादी लाडकंवर के देहान्त दिनांक 16.10.2014 से 150 दिन की मयाद अवधि मे प्रार्थी द्वारा आवेदन पेश किया गया है। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा कि चूंकि मृतक प्रतिवादी लाडकंवर द्वारा अपने जीवनकाल मे अपनी स्वेच्छा से अपनी स्वअर्जित तमाम अचल सम्पति मय हाजा वाद मे वर्णित वादग्रस्त आराजी की वसीयत दिनांक 14.10.2014 को प्रार्थी के हक मे निष्पादित कर दी थी जो प्रार्थी के पक्ष मे निष्पादित वसीयत दिनांक 14.10.2014 प्रतिवादी लाडकंवर की अन्तिम वसीयत थी व है। चूंकि मृतक प्रतिवादी लाडकंवर के कोई जायन्दा संतान न थी और न ही लाडकंवर ने अपने जीवनकाल मे किसी व्यक्ति को गोद ही लिया था अतः गोपालसिंह, मृतका प्रतिवादी लाडकंवर का गोदी पुत्र नही है। इन उपरोक्त हालात मे मृतक वादीनी लाडकंवर द्वारा अपनी स्वंअर्जित वादग्रस्त आराजी की वसीयत दिनांक 14.10.2014 प्रार्थी के हक मे निष्पादित करने से प्रतिवादी लाडकंवर की मृत्यु दिनांक 16.10.2014 को होते ही वादग्रस्त आराजी के खातेदारी हक हकूक प्रार्थी शेरसिंह मे जरिये वसीयत दिनांक 14.10.2014 के निहीत हो चुके है जिससे प्रतिवादी मृतक लाडकंवर का एकमात्र विधिक प्रतिनिधि प्रार्थी शेरसिंह ही है अतः प्रार्थी को हाजा वाद मे मृतका प्रतिवादी लाडकंवर के स्थान पर मृतका प्रतिवादी लाडकंवर का विधिक प्रतिनिधि के बतौर प्रतिवादी पक्षकार नियोजित कर उक्त हाजा वाद मे मृतका प्रतिवादी लाडकंवर की ओर से पैरवी करने की प्रार्थी को अनुमति प्रदान किया जाना कानूनन् आवश्यक एवं लाजमी है। आदेश 22 के तहत प्रार्थना पत्र का निस्तारित करते समय न्यायालय पक्षकारो के अधिकार तय नही करता है और न ही अधिकार तय होते है, पक्षकारो के अधिकार वाद के विचारण के बाद तय किये जा सकते है। आदेश 22 के तहत प्रार्थना पत्र उस न्यायालय द्वारा निस्तारित किया जायेगा जहां किसी पक्षकार की मृत्यु हुई है–इन नियम के अन्तर्गत न्यायालय का अर्थ सिविल न्यायालय ही नही है। चूंकि प्रतिवादी लाडकंवर को वादग्रस्त आराजी की खातेदार काश्तकार है अतः प्रतिवादी वादग्रस्त आराजी की धारा–14 हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत पूर्ण स्वामी थी अतः प्रतिवादी को वादग्रस्त आराजी वसीयत करने का हक अधिकार था। आदेश 22 नियम 3 सी. पी. सी. के प्रार्थना–पत्र को आदेश 22 के नियम 9 के तहत माना जा सकता है। विधि मे ऐसी कोई मनाही नही है। वादीगण की आपतियां विचारण के दौरान निर्णित की जा सकती है। तकनिकी आपतियां रास्ते मे नही आती है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र के समर्थन मे निम्न कानूनी नजीरे पेश किः–2002 (1) आर. आर. टी. पेज 16, 2007 (1) आर. आर. टी. पेज 214, 2015 (1) आर. आर. टी. पेज 613, 2005 (2) आर. आर. टी. पेज 929, 2004 (2) आर. आर. टी. पेज 698, 2010 (1) आर. आर. टी. पेज 167, 2013 (1) आर. आर. टी. पेज 347, 2014 (2) आर. आर. टी. पेज 885, 2009 (2) डी. एन. जे. पेज 623, प्रार्थी के अधिवक्ता ने उपरोक्त नजीरे पेश कर प्रार्थना–पत्र स्वीकार करनें का निवेदन किया।

Rahul
सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

7. वकील वादीगण द्वारा अपनी बहस मे निवेदन किया गया है कि प्रतिवादी लाडकंवर का देहान्त दिनांक 16.10.2014 को होना स्वीकार है। लाडकंवर का देहान्त दिनांक 16.10.2014 को होने की जानकारी प्रार्थी शेरसिंह को लाडकंवर की मृत्यु की दिनांक से ही बहुत अच्छी तरह से थी व है तथा अधिवक्ता वादीगण ने वसीयतनामा दिनांक 14.10.2014 मे लिखी ईबारत पढकर बताया कि प्रार्थी शेरसिंह को हस्तगत वाद आदरणीय न्यायालय मे विचाराधीन होने की भी जानकारी थीं। फिर भी प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र मे गलत एवं झूठ तथ्य कथन दर्ज कर आदरणीय न्यायालय को मिसलिड करने की कौशिश की है तथा अपने आवेदन मे प्रार्थी ने इनकरेक्ट और एक्स फेसी फाल्स कथन किये है। अतः विधि अनुसार प्रार्थी आदरणीय न्यायालय से किसी भी प्रकार की दया का पात्र नही है। अधिवक्ता वादीगण का यह भी तर्क रहा कि हस्तगत प्रार्थना–पत्र को निस्तारित करने से पूर्व आदेश 22, नियम 5 सी. पी. सी. के तहत न्यायालय को पहले प्रतिवादी लाडकंवर का विधिक प्रतिनिधि किसे बनाया जावे ? यह बिन्दू तय करना होगा। क्योंकि एक तरफ प्रार्थी वसीयत के आधार पर तो दूसरी तरफ वादीगण, प्रतिवादी गोपालसिंह को गोदपुत्र होने के आधार पर प्रतिवादी लाडकंवर के स्थान पर प्रतिस्थापित करवाने हेतू निवेदन कर रहे है। इस संबंध मे अधिवक्ता वादीगण का तर्क रहा कि चूंकि प्रार्थी स्वयं ने पूर्व मे प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 22, नियम 5, 10 सपठीत धारा–151 सी. पी. सी. मे आदेश 6, नियम 17 सपठीत धारा–151 सी. पी. सी. का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर आदेश 22 नियम 5, 10 सी. पी. सी. के स्थान पर आदेश 22, नियम 4, 9 सी. पी. सी. का प्रार्थना–पत्र पेश किया अतः विधि अनुसार आदेश 22 नियम 5 सी पी सी के तहत आवेदन को प्रार्थी स्वयं ने त्याग दिया है अतः विधि अनुसार न्यायालय अब प्रार्थी के आवेदन को आदेश 22, नियम 5 सी. पी. सी. के नीचे मान नही सकता है। इसके अलावा प्रार्थी को आदेश 22, नियम 4. 9 सपठित धारा–151 सी पी सी के तहत आवेदन करने की लोकस स्टेण्डाई नही है। क्योंकि हस्तगत वाद मे प्रार्थी, वादी नही है अतः वादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गोपालसिंह को प्रतिवादी लाडकंवर के विधिक वारिस के तौर पर प्रतिस्थापित करने का निवेदन किया। इसके अलावा अधिवक्ता वादीगण का यह भी तर्क रहा कि चूंकि प्रतिवादी लाडकंवर के भाई एवं प्रार्थी के पिता जब्बरसिंह जो लाडकंवर द्वारा प्रस्तुत अन्य वाद बअनवान वादीया लाडकंवर बनाम प्रतिवादीगणः–गुमानसिंह वगै मे बतौर लाडकंवर के मुख्तियार के तौर पर न्यायालय मे दिनांक 20–01–2003 को दिये बयानो दिये जिसमे गवाह जब्बरसिंह ने बयान दिये कि "लाडकंवर बुजुर्ग है, उनकी उम्र 75 वर्ष है, कानो से कम सुनते है। लाडकंवर की मानसिक स्थिति कमजोर है।" इस प्रकार प्रतिवादी लाडंकवर के भाई एवं प्रार्थी के पिता जब्बरसिंह के बयानो अनुसार प्रतिवादी लाडकंवर मानसिक रूप से कमजोर थी, इस कारण भी वसीयत करने हेतू सक्षम नही थी। इस कारण प्रार्थी को तथाकथित वसीयत के आधार पर वादग्रस्त आराजी मे कोई हक अधिकार उत्पन्न नही हुआ। इसके विपरित पत्रावली पर प्रतिवादी लाडकंवर के पति बख्तावरसिंह द्वारा अपने जीवनकाल मे गोपालसिंह को गोद लेने बाबत एक गोदनामा दिनांक 12–07–1968 को अपने हस्ताक्षर कर निष्पादन किया व पंजीबद्ध करवाया जिससे प्रकट है कि गोपालसिंह प्रतिवादी लाडकंवर व बख्तावरसिंह जी का गोदीपुत्र है। उक्त गोदनामा को प्रतिवादी ने अपने जीवनकाल मे कभी भी चेलेन्ज नही किया। धारा–16 हिन्दू दतक एवं भरनपोषण अधिनियम अनुसार रजिस्टर्ड गोदनामा के सही होने बाबत न्यायालय उपधारणा करेगा, जब तक की उसे गलत साबित न कर दिया जावे। पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नही है जो उक्त रजिस्टर्ड गोदनामा को गलत साबित करती हो। बल्कि इसके विपरित बख्तावरसिंहजी द्वारा अपने गोदीपुत्र गोपालसिंह के पक्ष मे वादग्रस्त आराजी मे से खसरा नम्बर 512 के रकबा मे से 60 बीघा भूमि के खातेदारी अधिकार जरिये रजिस्टर्ड बख्शीशनामा के बख्शीश कियें। उक्त बख्शीशनामा मे भी बख्तावरसिंह जी ने गोपालसिंह को अपना गोदीपुत्र होना दर्ज किया है अतः गोपालसिंह, प्रतिवादी लाडकंवर का

सहायक कलेक्टर

Scanned by CamScanner

गोदपुत्र होने से बतौर विधिक वारिस के प्रतिस्थापित किया जाना विधिसम्मत है। प्रार्थी, प्रतिवादी लाडकंवर का विधिक प्रतिनिधी नही है और न ही विधिक प्रतिनिधी के बतौर प्रतिवादी नियोजित कर हाजा वाद मे पैरवी करने का प्रार्थी को कोई हक अधिकार है।

8. हमने दोनो अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया तथा उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीरो का सम्मान अध्ययन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। जिसके अनुसार प्रतिवादी लाडकंवर का देहान्त दौराने वाद दिनांक 16.10.2014 हो गया था। वादीगण द्वारा प्रतिवादी लाडकंवर के गोदपुत्र गोपालसिंह जो बतोर प्रतिवादी पहले से पत्रावली पर पक्षकार संयोजित है को प्रतिवादी लाडकंवर के विधिक वारिस के तौर पर प्रतिस्थापित करने हेतू निवेदन किया तथा प्रतिवादी लाडकंवर द्वारा निष्पादित वसीयत दिनांक 14.10.2014 के आधार पर विधिक प्रतिनिधि के तौर पर प्रतिस्थापित करने हेतू प्रार्थी शेरसिंह ने दिनांक 02–03–2015 को एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 22, नियम 5, 10 सपठित धारा–151 सी. पी. सी. मय प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–5 मयाद अधिनियम के तहत प्रस्तुत किये। प्रार्थी के उक्त प्रार्थना–पत्रो का वादीगण ने जवाब प्रस्तुत कर प्रतिवादी गोपालसिंह के कानूनी वारिस होने और उक्त कानूनी वारिस को कायम मुकाम बनाया जाने हेतू निवेदन किया। जिसको लेकर दोनो पक्षो मे विवाद है। इस संबंध मे हमने कानूनी नजीर 2002 (1) आर. आर. टी. पेज 16, 2009 (1) आर. आर. टी. पेज 28, ए. आई. आर 2007 (एन.ओ.सी.) पेज 1878, ए. आई. आर. 2008 सुप्रिम कोर्ट पेज 2866, ए. आई. आर 2010 (एन.ओ.सी.) पेज 582, ए. आई. आर. 1984 उडीसा पेज 159, 2008 (2) आर. आर. टी. पेज 1247 का अवलोकन किया जिनके अनुसार किसी मृत व्यक्ति के वारिसान के विनिश्चयन मे विवाद की स्थिति बनने पर न्यायालय द्वारा इस बिन्दु पर विनिश्चय आदेश 22, नियम 5 सी. पी. सी. के तहत करने का प्रावधान है। हस्तगत वाद मे भी मृत प्रतिवादी लाडकंवर के वारिसान को लेकर विवाद है। प्रार्थी के अनुसार वसीयत के आधार पर विधिक प्रतिनिधि के तौर पर वाद मे पैरवी करना चाहता है जबकी वादीगण, प्रतिवादी गोपालसिंह को गोदपुत्र होने के आधार पर विधिक वारिस होने से प्रतिवादी लाडकंवर के कायम मुकाम के तौर पर प्रतिस्थापित करने का निवेदन कर है। इस संबंध मे यहां यह उल्लैखनीय है कि वादीगण द्वारा आदेश 22, नियम 5 सी. पी. सी. के तहत कोई आवेदन नही किया तथा प्रार्थी शेरसिंह स्वयं द्वारा दिनांक 26–07–2016 को एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा–151 सी. पी. सी. का प्रस्तुत कर अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 02–03–2015 अन्तर्गत आदेश 22, नियम 5, 10 सपठित धारा–151 सी पी सी मे संशोधन कर आदेश 22 के बाद उप–नियम 5 के स्थान पर लाल स्याही से 4 एवं उप–नियम 10 के स्थान पर 9 जरिये संशोधन के अंकित करने का निवेदन किया। वादीगण की ओर से उक्त प्रार्थना–पत्र का प्रतिरोध इस आधार पर किया गया कि प्रार्थी शेरसिंह वसीयत के आधार पर तथा वादीगण, प्रतिवादी गोपालसिंह को विधिक वारिस होने के आधार पर प्रतिवादी लाडकंवर के स्थान पर प्रतिस्थापित करने हेतू निवेदन कर रहे जो विनिश्चयन् न्यायालय द्वारा आदेश 22, नियम 5 सी. पी. सी. के प्रावधानो के नीचे ही कर सकता है। प्रार्थी शेरसिंह का उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 14–03–2017 द्वारा स्वीकार कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांक 02–03–2015 मे नियम 5 के स्थान पर 4 एवं नियम 10 के स्थान पर 9 अंकित किये जाने की अनुमति प्रदान की तथा प्रार्थी को संशोधित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का आदेश दिया। जिस पर प्रार्थी तदानुसार संशोधित प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22, नियम 4, 9 सपठीत धारा–151 सी. पी. सी. का पेश किया। इस प्रकार आदेश 22 नियम 5 सी. पी. सी. के तहत आवेदन को वादीगण एवं प्रार्थी स्वयं ने त्याग दिया है। इसके अलावा स्वयं प्रार्थी के पिता जब्बरसिंह ने प्रतिवादी लाडकंवर के मुख्तियार के तौर पर न्यायालय मे दिनांक 20–01–2003 को दिये बयानो मे कहा कि "लाडकंवर बुजुर्ग है उनकी

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

उम्र 75 वर्ष है कानो से कम सुनते है। लाडकंवर की मानसिक स्थिति कमजोर है।" अतः प्रतिवादी लाडंकवर वसीयत करने हेतू सक्षम नही थी। अतः प्रार्थी को तथाकथित वसीयत के आधार पर वादग्रस्त आराजी मे कोई हक अधिकार उत्पन्न नही होते है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पोषणीय नही है। इसके अलावा न्यायालय द्वारा यह भी देखना है कि क्या वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विहीत मयाद अवधि मे प्रस्तुत हुआ या नही ? इस संबंध मे पत्रावली का अवलोकन करने पर हम पाते है कि मृत प्रतिवादी लाडकंवर के देहान्त दिनांक 16.10.2014 के 90 दिन पश्चात् वादीगण ने प्रार्थना पत्र दिनांक 05–02–2015 को प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार स्वीकृत विधिक स्थिति अनुसार वादीगण का दावा बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ एबेट हो चुका था। परन्तु वादीगण ने अपने आवेदन पत्र मे उक्त एबेटमेन्ट को निरस्त करने हेतू कोई अनुतोष नही चाहा तथा वादीगण के आवेदन प्रस्तुतीकरण मे जो विलंब हुआ उसको माफ़ करने हेतू धारा–5 मयाद अधिनियम के तहत कोई आवेदन पेश नही किया। अतः वादीगण न्यायालय से किसी प्रकार की दया का पात्र नही है। इसके अलावा प्रतिस्थापित करने हेतू दिये गये आवेदन पत्र मे, उपशमन को अपास्त करने हेतू कोई अनुतोष नही चाहा गया है अतः उक्त प्रार्थना पत्र को विधि अनुसार उपशमन को अपास्त करने का आवेदन नही समझा जा सकता है। कानून का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि सारभूत न्याय प्रदान की प्रक्रिया मे किसी दूसरे पक्ष मे साथ अन्याय नही होना चाहिये। वाद के उपशमन होने के परिणामस्वरूप प्रतिवादी पक्ष के हित मे कानूनी बिन्दू सृजित हो गया है, जिसे सरसरी तौर पर या विधिक प्रावधानो के विपरित उससे छीना नही जाना चाहियें। इस प्रकार वादीगण द्वारा आदेश 22 नियम 4 का प्रार्थना पत्र समय पर प्रस्तुत नही करने से वाद मृतक पक्षकार के विरूद्ध स्वत् उपशमित (खारिज) हो गया है।

9. लिहाजा उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण एवं विधिक स्थिति को ध्यान मे रखते हुये वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22, नियम 4 सपठित धारा–151 सी पी सी एतदद्वारा अस्वीकार कर खारिज किये जाते है। फलस्वरूप वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद उपशमित होना मानकर निरस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। चूंकि वादीगण का वाद उपशमित होने से एबेट किया गया है अतः प्रार्थी शेरसिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22, नियम 4, 9 सपठीत धारा–151 सी. पी. सी. एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम दिनांक 02–03–2015 (दिनांक 17–04–2017) एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22, नियम 4 सपठीत धारा–151 सी. पी. सी. दिनांक 08–10–2018 एवं निष्प्रयोजित हो गये है फलस्वरूप वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद एबेट हो जाने से खारिज किया जाता है।. डिकी परचा मुर्तिब हो। पत्रावली फैसल में शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

Rahul
सहायक कलेक्टर
पाली

यह आदेश आज दिनांक 27.01.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul
सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D' -1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उप जिला कलेक्टर,
बइजलास– श्री रोहिताश्त सिंह तोमर, (आई.ए.एस.)

मुकद्दमा संख्या– राजस्व वाद संख्या 71 सन् 2002 अंतर्गत धारा 53,88,188 एवं 92 ए आर.टी.एक्ट

वादी:–

1. रूपसिंह पुत्र गुमानसिंह
2. उगमसिंह पुत्र गुमानसिंह

जतिगण–राजपूत, निवासीगण– काणदरा, तहसील व जिला– पाली

बनाम प्रतिवादीगण:–

1. लाडकंवर बेवा बख्तावरसिंह
2. कुन्दनसिंह पुत्र श्री जोरसिंह
3. गोपालसिंह पुत्र बख्तावरसिंह

जातिगण–राजपूत, निवासीगण – काणदरा, तहसील पाली, जिला पाली

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पाली

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री दौलत मकवाना, विद्वान अभिभाषक वादीगण बहाजरी मिनजानिब मुद्दई व बहाजरी श्री मदनदास वैष्णव, विद्वान अभिभाषक प्रतिवादीण मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अंतिम डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि अन्तर्गत आदेश 22, नियम 4 सपठित धारा–151 सी पी सी एतदद्वारा अस्वीकार कर खारिज किये जाते है। फलस्वरूप वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद उपशमित होना मानकर निरस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। चूंकि वादीगण का वाद उपशमित होने से एबेट किया गया है अतः प्रार्थी शेरसिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22, नियम 4, 9 सपठीत धारा–151 सी. पी. सी. एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम दिनांक 02–03–2015 (दिनांक 17–04–2017) एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22, नियम 4 सपठीत धारा–151 सी. पीं. सी. दिनांक 08–10–2018 एवं निष्प्रयोजित हो गये है फलस्वरूप वादीगण द्वारा प्रस्तुत वांद एबेट हो जाने से खारिज किया जाता है।

नीज.....शून्य..... मुबलिग .....शून्य.... बाबत.....शून्य.....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.....शून्य..... फीसदी आज की तारीख से वसूलयानी तक .....शून्य..... को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 27 माह 01 सन् 2020 को जारी की गई।

दस्तखत सहायक कलेक्टर
ओहदा.....पाली.....

मुहर

कृ0पृ0उ0

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीनामा	—	—	स्टाम्प वकालतनामा	—	—
स्टाम्प वकालतनामा	—	—	स्टाम्प हाजरी	—	—
स्टाम्प वजह सबूत	—	—	मेहनताना वकील पर	—	—
मेहनताना वकील	—	—	खर्चा गवाहान	—	—
खर्चा गवाहान	—	—	फीस कमिश्नर	—	—
फीस कमिश्नर	—	—	बाबत इजराय हुक्मनामा	—	—
बाबत इजराय हुक्मनामा	—	—	मुतफरिक	—	—
मुतफरिक	—	—	—	—	—
मीजान			मीजान		

नोटः— इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर जो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
दतिया

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2020.01.31 11:30:08 IST
Reason: SelfAttested
Location: